भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 314
(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सी-पीएसीई की भूमिका

***314. श्री बलभद्र माझीः**
श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलरेटेड कारपोरेट एक्जिट' (सी-पीएसीई) की स्थापना की है;
(ख) यदि हाँ, तो कंपनियों के स्वैच्छिक समापन के लिए दायर आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने में सी-पीएसीई की क्या भूमिका है;
(ग) सी-पीएसीई की स्थापना के बाद से इसके माध्यम से कितनी कंपनियों को बंद किया गया है;
(घ) क्या एलएलपी के लिए भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा व्यवसाय और अनुपालन में सुगमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ङ): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

'सी-पीएसीई की भूमिका' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *314 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ। मंत्रालय ने 01.05.2023 से परिचालन शुरू करने वाली अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाली कंपनियों के लिए स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ को सुगम बनाने और गति प्रदान करने के लिए एमसीए की दिनांक 17 मार्च 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1269(अ) के द्वारा त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पीएसीई) की स्थापना की है।

दिनांक 31.07.2025 की स्थिति तक, सी-पीएसीई के अंतर्गत, कंपनियों के स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ के लिए किए गए आवेदनों पर औसतन 2 महीने से भी कम समय में कार्रवाई की जा रही है, जबकि पहले विभिन्न क्षेत्राधिकार वाले कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ के लिए किए गए आवेदनों पर कार्रवाई करने में औसतन 2 वर्ष से अधिक समय लगता था।

सी-पीएसीई हितधारकों को सुगमतापूर्वक फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से उनकी कंपनियों और एलएलपी के नाम रजिस्टर से हटाने की सुविधा प्रदान करके सक्षम बना रहा है। सी-पीएसीई देश भर में एक समान और सुसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी संचार (प्रश्न, अनुमोदन या अस्वीकृति) केंद्रीय एमसीए पोर्टल के माध्यम से किए जाए, जिससे आवेदकों को वास्तविक समय पर अपडेट और बेहतर ट्रैकिंग सुविधा मिलती हों।

(ग): 01.05.2023 से 31.07.2025 के दौरान, 38658 कंपनियों ने एसटीके-2 आवेदन कर के निकास प्रक्रिया का लाभ उठाया है और उन्हें स्ट्राइक-ऑफ/विघटित के रूप में चिह्नित किया गया है।

(घ): दिनांक 5 अगस्त 2024 के एमसीए अधिसूचना सा.का.नि. 475(अ) के तहत, एलएलपी नियमों के नियम 37(1) में संशोधन किया गया ताकि 27 अगस्त 2024 से आरओसी, सी-पीएसीई के माध्यम से एलएलपी को हटाने की प्रक्रिया के लिए एलएलपी ई-प्ररूप 24 फाइल करना संभव हो सके और 31.07.2025 तक सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37(1)(ख) के साथ पठित सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 75 के तहत 8368 एलएलपी को हटा दिया गया है।

(ङ): मंत्रालय ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए एक निर्बाध प्रक्रिया उपलब्ध कराने तथा कंपनियों और एलएलपी के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं, जैसे:

(i) एमसीए21 वी3 पोर्टल में 79 प्ररूप हैं, जिन्हें एसटीपी (सीधी प्रक्रिया के माध्यम से) या सशर्त एसटीपी आधार पर संसाधित किया जाता है, जिससे मानव हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप स्वीकार किए जाते हैं, जिससे 'अनुपालन में सुगमता' और 'व्यापार करने में सुगमता' होती है।

(ii) एमसीए की दिनांक 2 फरवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ 446(अ) के तहत 12 गैर-एसटीपी प्ररूपों अर्थात एमजीटी-14 (संकल्पों और समझौतों को फाइल करना), एसएच-7 (पूंजी में परिवर्तन), आईएनसी24 (नाम में परिवर्तन), आईएनसी-6 (एकल व्यक्ति कंपनी का निजी या सार्वजनिक में रूपांतरण, या निजी से ओपीसी में रूपांतरण), आईएनसी-27 (निजी से सार्वजनिक में रूपांतरण या इसके विपरीत), आईएनसी-20 (अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसेंस का निरसन/समर्पण), डीपीटी-3 (जमा राशि की वापसी), एमएससी-1 (निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन), एमएससी-4 (सक्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन), एसएच-8 (बाय-बैक के लिए प्रस्ताव पत्र), एसएच-9 (दिवाला की घोषणा), एसएच11 (प्रतिभूतियों की बाय-बैक के संबंध में विवरण) के केंद्रीकृत संसाधन के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना की गई है। सीपीसी की स्थापना विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फाइल किए गए आवेदनों और प्ररूपों के त्वरित प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, ताकि कंपनियां कारपोरेट कानूनों के तहत अपने विभिन्न अनुपालनों को सुगमता से पूरा कर सकें।

(iii) संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करने के लिए 16 सितंबर, 2024 से वी3 में ई-न्यायनिर्णयन मॉड्यूल स्थापित किया गया है। न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप, जैसे केस निर्माण, ई-सुनवाई, कारण बताओ नोटिस जारी करना, आदेश जारी करना और जुर्माना वसूलना ऑनलाइन किए जाते हैं। इस प्रक्रिया से कंपनियों के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायनिर्णयन कार्यवाही में भाग लेना सुगम हो गया है।

(iv) वी3 प्रणाली वेब-आधारित प्ररूप भरने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वास्तविक समय सत्यापन और सभी प्रारूपों में सामान्य कॉलम की स्वतः पूर्व-भरण में सुधार होता है। डुप्लिकेट/अनावश्यक कॉलम को हटाकर, वी3 में प्ररूप में कॉलम का अनुकूलन भी किया गया है।

(v) एमसीए21 वी3 पोर्टल पर लिंक किए गए प्ररूप अनुपालन को सुगम बनाने और संबंधित फाइलिंग को एक साथ एकीकृत करके पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे व्यावसायिक सूचना का पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित होता है।

(vi) सभी हितधारकों के लिए एमसीए21 वेबसाइट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं तक पहुंच के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिसमें एप्लिकेशन डैशबोर्ड, नोटिस, परिपत्र आदि शामिल हैं।

(vii) कंपनी और एलएलपी अधिनियमों के तहत 63 अपराधों का गैर-अपराधीकरण। गैर-अपराधीकरण का एक उद्देश्य कॉर्पोरेट्स को राहत प्रदान करते हुए, न्यायिक अदालतों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना और अभियोजन मामलों को न्यायिक निर्णय की ओर स्थानांतरित करना भी है।

(viii) 54 से अधिक प्ररूपों को सीधे प्रक्रिया के माध्यम से (एसटीपी) में परिवर्तित करना, जिसके लिए पहले फील्ड कार्यालयों की मंजूरी की आवश्यकता होती थी।

(ix) कंपनी के निगमन के समय तुरंत व्यवसाय शुरू करने के लिए नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन का आवंटन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी नंबर, बैंक खाता खोलना आदि जैसी विभिन्न सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ई-प्ररूप स्पाईस+ के साथ-साथ एजीआईएलई प्रो नामक एक लिंक्ड प्ररूप की शुरुआत की गई है। इसी प्रकार, एक ही एप्लिकेशन में समान सेवाएँ प्रदान करने के लिए नया ई-प्ररूप फिलिप (सीमित देयता भागीदारी के निगमन हेतु प्ररूप) भी शुरू किया गया है।

(x) लघु कंपनी की परिभाषा में संशोधन किया गया है और अब लघु कंपनी की चुकता पूंजी की ऊपरी सीमा 2.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.00 करोड़ रुपये और टर्नओवर 20.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40.00 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार, लघु एलएलपी की अवधारणा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कम अनुपालन और कम शुल्क लागू होंगे ताकि अनुपालन की लागत कम हो सके।

(xi) कंपनी अधिनियम से संबंधित अपराधों के न्यायनिर्णयन के लिए ई-न्यायनिर्णयन पोर्टल की स्थापना की गई।

(xii) 15.00 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शुल्क शून्य किया गया।

(xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को बढ़ाया गया, ताकि स्टार्टअप्स का अन्य स्टार्टअप्स और लघु कंपनियों के साथ विलय शामिल किया जा सके, ताकि विलय और समामेलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

(xiv) सीए-2013 (क्षेत्रीय निदेशकों के अनुमोदन से त्वरित विलय एवं समामेलन) की धारा 233 का दायरा बढ़ाया गया है। अब इसमें भारत के बाहर निगमित किसी हस्तांतरणकर्ता

विदेशी कंपनी (जो एक होल्डिंग कंपनी है) का भारत में निगमित उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय भी शामिल है।

(xv) किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण हेतु शून्य लागत निर्धारित की गई।

(xvi) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करना।

(xvii) कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 जारी किए गए हैं, जो भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को जीआईएफटी आईएफएससी पर अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज(ओं) में अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देते हैं।

*****